

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 3650 / वाद सं० सी-0225 / एस-5 / 2023

(अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

दिनांक: 04/09/2023

श्री रामगज, सुरेश कुमार आदि
शान्ति विहार रॉझावाला, देहरादून।

14

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में भू-विन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कार्य किये जाने एवं स्थल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0225 / एस-5 / 2023 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 20.03.2023 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 23.03.23 को तामिल किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत प्लॉटिंग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.03.2023 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित रहे एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि हमारे द्वारा भूमि को तीन भाईयों में बाँटी गयी है, सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 02.08.2023 को विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र मय फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि हमारा आपस में बंटवारा हुआ है हमारे द्वारा प्लॉटिंग नहीं की गयी है स्थल पर खेती की जा रही है। जिस क्रम में क्षेत्रीय अभियन्ता आख्या दिनांक 02.09.2023 के अनुसार स्थल का निरीक्षण किया गया स्थल पर विपक्षी द्वारा भूमि में चिन्हीकरण का कार्य किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह चिन्हीकरण भूमि विक्रय हेतु किया जा रहा है एवं प्लॉटिंग को ध्वस्त किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण / प्लॉटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री रामगज, सुरेश कुमार आदि शान्ति विहार रॉझावाला, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में भू-विन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कार्य किये जाने एवं स्थल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 04.09.23 को ध्वस्त किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।